

स्पीड पोस्ट/ई-मेल

संख्या-6/एफ1-09/2025 श्र0सं0-5450

बिहार सरकार

श्रम संसाधन विभाग (श्रम पक्ष)

प्रेषक,

मनीष कुमार,
सहायक श्रमायुक्त।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी,
पटना/सिवान एवं दरभंगा।

पटना, दिनांक- 04/09/2025

विषय:- वित्तीय वर्ष 2025-26 में मुख्य शीर्ष-2230-श्रम, रोजगार और कौशल विकास- उप मुख्य शीर्ष-01-श्रम-114-उत्प्रवासी श्रम कल्याण-मांग संख्या-26-उपशीर्ष-0102-अन्तर्राज्यीय प्रवासी मजदूरों के पुनर्वापसी पर व्यय, विपत्र कोड-26-2230011140102 (सामान्य श्रेणी) एवं विपत्र कोड-26-2230017890103 (अनुसूचित जाति) के अन्तर्गत CFMS 2.0 Software से निर्गत किये गये आवंटन के संबंध में।

महाराज,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विन विभाग से प्राप्त दिशा निर्देश के आलोक में वित्तीय वर्ष 2025-26 में सहायक अनुदान-गैर वेतन मद में प्राप्त बजट उपबंध के विरुद्ध CFMS2.0 Software से निर्गत किये गये आवंटन का विवरण निम्नवत है:-

2. सामान्य कांटी (विपत्र कोड-26-2230011140102) के मृत प्रवासी श्रमिकों के वैध आश्रितों को विषय शीर्ष-31.06 सहायक अनुदान गैर वेतन मद में भुगतान के लिए रुपये ₹2,00,000/- मात्र प्रति मृत प्रवासी श्रमिक की दर से आवंटित अनुदान की राशि का विवरण निम्न प्रकार है :-

क्र0 स0	जिला का नाम	मृतकों की संख्या	आवंटित राशि	(अभ्युक्ति) मृतक का नाम एवं पता
1	पटना	01	2,00,000 / -	जिला पदाधिकारी, पटना के ज्ञापक-4017, दिनांक-23.08.2025 के आलोक में। (1) आवेदिका-रुबी कुमारी (पत्नी), मृतक-स्व0 अंजय कुमार, ग्राम-रामनगर छब्बीस टोला, वार्ड नं0-02, थाना+प्रखंड-बख्तियारपुर, जिला-पटना।
2	सिवान	01	2,00,000 / -	श्रम अधीक्षक, सिवान के पत्रांक-973, दिनांक-21.08.2025 के आलोक में। (1) मृतक-स्व0 नौशाद मुस्तफा अंसारी, आश्रित-रब्या खातून (पत्नी), ग्राम+पोस्ट-भडवनिया, थाना+प्रखंड-भगवानपुर हाट, जिला-सिवान।
		01	2,00,000 / -	श्रम अधीक्षक, सिवान के पत्रांक-972, दिनांक-21.08.2025 के आलोक में। (2) मृतक-स्व0 संदीप कुमार, पिता-राधेश्याम, आश्रित-चन्दा देवी (पत्नी), ग्राम-चितौर, पोस्ट-जयजोर, थाना+प्रखंड- आन्दर, जिला-सिवान।

3. अनुसूचित जाति (विपत्र कोड-26-2230017890103) के मृत प्रवासी मजदूरों के वैध आश्रितों को विषय शीर्ष 31.06 सहायक अनुदान गैर वेतन मद में भुगतान के लिए रुपये ₹2,00,000/- मात्र प्रति मृत प्रवासी श्रमिक की दर से आवंटित अनुदान की राशि का विवरण निम्न प्रकार है :-

क्र० स०	जिला का नाम	मृतकों की संख्या	आवंटित राशि	(अभ्युक्ति) मृतक का नाम एवं पता
1	दरभंगा	01	2,00,000/-	जिला पदाधिकारी, दरभंगा के ज्ञापांक-2320, दिनांक-12.08.2025 के आलोक में। (1) आवेदिका-फुलो देवी (पत्नी), मृतक-स्व० बुझावन राम, ग्रा०+पो०+पंच-मरसा, वार्ड नं-07, थाना+प्रखंड-जाले, जिला-दरभंगा।

- यह राशि विभागीय स्वीकृतिपत्र संख्या-2254, दिनांक-02.05.2025 के आलोक में चालू वित्तीय वर्ष-2025-26 में "विहार राज्य प्रवासी मजदूर दुर्घटना अनुदान योजनान्तर्गत" अनुदान की राशि 2,00,000/- (दो लाख) मात्र एवं 1,00,000/- (एक लाख) मात्र प्रति मृतक प्रवासी श्रमिक की दर से, उनके वैध आश्रित को भुगतान हेतु, आवंटित की गयी है।
- अनुरोध है कि विहार राज्य प्रवासी मजदूर दुर्घटना अनुदान योजना नियमावली, 2008 के तहत जाँच पड़ताल करके राशि का भुगतान किया जाय। भुगतान के पश्चात् इसका उपयोगिता प्रमाण पत्र विभाग को ई-मेल/स्पीड पोस्ट द्वारा शीघ्र उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।
- यह आवंटन वित्त विभाग के पत्रांक-256/वि० दिनांक-16.02.19, पत्रांक-732/वि० दिनांक-31.07.19 एवं वित्त आयुक्त के स्थायी ज्ञापांक-2561/वि० (2) दिनांक 17.04.98 के आलोक में है।
- अनुरोध है कि इस आवंटित राशि से किसी भी परिस्थिति में अधिक व्यय नहीं किया जाय। यदि आवंटित राशि से अधिक व्यय किया जाता है, तो वह अनियमित होगा।
- अनुरोध है कि आवंटित राशि से हुए व्यय की सूचना विहित प्रपत्र में, आवश्यक टी०भी० नं० तथा तिथि के साथ, निकासी के उपरान्त, अविलम्ब सक्षम प्राधिकार को निश्चित रूप से उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।
- विभागीय अधिसूचना सं.-1/आई.एम.एल.-06/2016 श्र.सं.-3023 दि.-14.07.16 के आलोक में लाभुकों को अनुदान की राशि का भुगतान RTGS (Real Time Gross Settlement) पद्धति से उनके बैंक खाते में किया जायेगा।
- अनुरोध है कि आवंटित राशि को, नियमानुसार जाँच कर, उन्ही मृतक के आश्रित/आंशिक अपंग/पूर्ण अपंग प्रवासी मजदूरों को उपलब्ध कराया जाय, जिन्हें पूर्व में इस हेतु लाभांशित नहीं किया गया हो।
- यह आवंटन राज्य योजना से संबंधित है।
- श्रमायुक्त, विहार, श्रम संसाधन विभाग का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन

ह/०

मनीष कुमार,

सहायक श्रमायुक्त।

ज्ञापक: 6/एफ1-09/2025 अ0सं0-5450

पटना, दिनांक- 04/09/2025

प्रतिलिपि:- सचिव के आप्त सचिव, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित कोषागार एवं उप कोषागार पदाधिकारी/संबंधित उप श्रमायुक्त/संबंधित सहायक श्रमायुक्त/संबंधित श्रम अधीक्षक/संयुक्त श्रमायुक्त-2, प्रभारी प्रशाखा-01, श्रम पक्ष एवं व्यय विवरणी शाखा प्रशाखा-6, श्रम पक्ष को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ तथा आई०टी०मैनजर, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

2. उपयोगिता प्रमाण-पत्र का संधारण संबंधित योजना शाखा (प्रशाखा-01) द्वारा किया जायेगा।

सभी संबंधित उप श्रमायुक्त, सहायक श्रमायुक्त एवं श्रम अधीक्षक से अनुरोध है कि वे संबंधित जिला पदाधिकारी से सम्पर्क स्थापित कर आवंटित किये गये राशि के विरुद्ध नियमानुसार शत प्रतिशत व्यय करने हेतु अनुरोध करेंगे एवं कृत कार्यवाई से अधोदस्ताक्षरी को भी अवगत कराने की कृपा करेंगे।

विश्वासभाजन

Signed by Manish Kumar

Date: 03-09-2025 17:37:44

मनीष कुमार,

सहायक श्रमायुक्त,

बिहार, पटना।